भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 90
सोमवार, 25 नवम्बर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक)

कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी

90. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को डिब्रूगढ़ स्थित चबुआ एयर फोर्स स्टेशन के कामगारों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए अखिल असम ठेकेदार श्रमिक संघ द्वारा दायर की गई शिकायत के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से संबद्ध सभी होल्डिंग में कार्यरत कामगारों तथा विशेष रूप से चबुआ एयर फोर्स स्टेशन, डिब्रूगढ़, असम के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों/भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): जी, हाँ, दिनांक 24.05.2024 को क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), डिब्रूगढ़ के समक्ष शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने का अनुरोध किया गया था। बाद में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिकायत में उल्लिखित सभी ठेकेदारों का निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

जारी...2/

(घ): केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में मजदूरी/न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने से संबंधित प्रावधानों सहित मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों को लागू करने के लिए उपयुक्त सरकारें हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाता है जिन्हें सामान्यतः केन्द्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सीआईआरएम) के रूप में नामोदिष्ट किया जाता है और राज्य क्षेत्र में राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाता है। नामोदिष्ट निरीक्षण अधिकारी नियमित निरीक्षण करते हैं और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने या कम भुगतान किए जाने के किसी भी मामले का पता चलने की स्थिति में, वे नियोक्ताओं को मजदूरी की कमी का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। अनुपालन न किए जाने की स्थिति में मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 17क और 20 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 22 के अंतर्गत निर्धारित दण्डात्मक उपबंधों का सहारा लिया जाता है।

*****